संख्या-416/2017/1871/22-2-2016-17(177)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुखदेव पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी-जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुखदेव पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी-डेरा तेजगढ़ी, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14.08.1999 को अपरान्ह् लगभग 02:30 बजे बन्दूक एवं तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-1829/2001 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 कारागार से रिहा किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 08 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किये जाने, दोनों पक्षों में सम्बन्धित विवाद अभी समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किय जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किये जाने, दोनों पक्षों में सम्बन्धित विवाद अभी समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14.08.1999 को अपरान्ह् लगभग 02:30 बजे बन्दूक एवं तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुखदेव पुत्र श्री अनूप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 04 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुखदेव (बन्दी संख्या-6519) पुत्र श्री अनूप सिंह निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-416/2017/1871(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-416/2017/1871/22-2-2016-17(177)/2015

दिनांक 09 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुखदेव पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी-डेरा तेजगढ़ी, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14.08.1999 को अपरान्ह् लगभग 02:30 बजे बन्दूक एवं तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-1829/2001 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 कारागार से रिहा किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 08 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किये जाने, दोनों पक्षों में सम्बन्धित विवाद अभी समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किय जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किये जाने, दोनों पक्षों में सम्बन्धित विवाद अभी समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14.08.1999 को अपरान्ह् लगभग 02:30 बजे बन्दूक एवं तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुखदेव पुत्र श्री अनूप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 04 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in